राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम उत्तराखण्ड लि0
29–आईआईई, आई0टी0पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून–248001
फोन नं0–0135–2607292, 2708100, 2608097
फैक्स– 0135–2708109
वेबसाईट–www.siidcul.com

पत्रांक 2279/आ0प0/सिडकुल/2017
दिनांक: 22/मार्च, 2017

1. क्षेत्रीय प्रबन्धक,
आई0आई0ई0 सिडकुल, पन्तनगर,
सेक्टर–1, रूद्रपुर–263153।

2. क्षेत्रीय प्रबन्धक,
आई0आई0ई0 सेलाकुई,
फार्मा सिटी, चकराता रोड,
देहरादून।

3. क्षेत्रीय प्रबन्धक,
क्षेत्रीय कार्यालय सिडकुल
मर्कात काशीपुर सिपनिंग मिल,
नियर सरकारी डिग्री कालेज,
बाजपुर रोड, काशीपुर–244713

4. क्षेत्रीय प्रबन्धक,
सिडकुल सितारगंज, एस0एन0वी0 प्लाजा,
हल्द्वानी रोड, ई0एस0आई0पी0एल0
सितारगंज।

5. क्षेत्रीय प्रबन्धक,
क्षेत्रीय कार्यालय सिडकुल,
पांचवी मंजिल, पेन्टागन मॉल,
सेक्टर–12, हरिद्वार।

6. क्षेत्रीय प्रबन्धक
आई0टी0 पार्क,
देहरादून।

विषय: भवन एवं अन्य संन्निर्माण कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के अन्तर्गत उपकर हेतु कुर्सी क्षेत्रफल की दरों का निर्धारण तथा उपकर की प्राप्तियों को उत्तराखण्ड भवन एवं संन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड निधि में जमा कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक श्रमायुक्त/सचिव, उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, हल्द्वानी के पत्रांक 951 दिनांक 01/03/17 का संदर्भ लें। जिसमें उनके द्वारा भवन एवं अन्य संन्निर्माण कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के अन्तर्गत उपकर हेतु कुर्सी क्षेत्रफल की दरों का निर्धारण तथा उपकर की प्राप्तियों को उत्तराखण्ड भवन एवं संन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड निधि में जमा कराये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही करते हुए उपकर की कटौती की अद्यतन आख्या उक्त कार्यालय को शीघ्र उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है। अतः तद्नुसार कार्यवाही करते सूचना उक्त कार्यालय को प्रेषित करते हुए एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

(वाई0एस0पुण्डीर)
आर्किटैक्ट–प्लानर

764

पंजीकृत

प्रेषक,

श्रम आयुक्त/सचिव,
उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड,
श्रम भवन, नैनीताल रोड,हल्द्वानी।

सेवा में,

1. समस्त नियंत्रक प्राधिकारी/जिलाधिकारी समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तराखण्ड।
2. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सचिव, समस्त विकास प्राधिकरण।
3. निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीडा, सिडकुल, देहरादून।
5. विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा।
6. प्रबन्ध निदेशक, के0एम0वी0एन0, ओंक पार्क नैनीताल।
7. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम।
8. प्रबन्ध निदेशक, जी0एम0वी0एन0, देहरादून।
9. प्रबन्धक, उत्तरांचल पेयजल संसाधन एवं निर्माण निगम।

संख्या 951 /छ– बी०ए०ओ०सी०/उपकर/2016–17 दिनांक 1-3-2017.

विषय : भवन एवं अन्य सन्निर्माण कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के अन्तर्गत उपकर हेतु कुर्सी क्षेत्रफल की दरों का निर्धारण तथा उपकर की प्राप्तियों को उत्तराखण्ड भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड निधि में जमा कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक, शासन के पत्र संख्या 1355(1)/VIII/16–27(श्रम)/2016 दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें, जो भवन एवं अन्य संनिर्माण कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के अन्तर्गत उपकर हेतु कुर्सी क्षेत्रफल की दरों का निर्धारण तथा उपकर की प्राप्तियों को उत्तराखण्ड भवन एवं संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड निधि में जमा कराये जाने के सम्बन्ध में है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कृपया शासन के निर्देशानुसार सम्बन्धित प्रकरण पर कार्यवाही करने का कष्ट करें एवं यदि आपके द्वारा उपकर की कटौती की गई है तो उसकी अद्यतन सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि सूचना से शासन को अवगत कराया जा सके।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(डा०आनन्द श्रीवास्तव)
श्रम आयुक्त/सचिव,
उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण बोर्ड, हल्द्वानी

A.P.

SIDCUL
6306
8/3/17

CEO
8/3/17

संख्याः /VIII/16–27(श्रम)/2016

प्रेषक,

एस॰ रामास्वामी,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

3. समस्त नियंत्रक प्राधिकारी/जिलाधिकारी,
समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तराखण्ड।

4 अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष/सचिव,
समस्त विकास प्राधिकरण।

5. निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून।

6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
सीडा, सिडकुल, देहरादून।

7. विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, सिंचाई,
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा,

8. प्रबन्ध निदेशक,
के॰एम॰वी॰एन॰,जी॰एम॰वी॰एन॰,
उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम, उत्तरांचल पेयजल संसाधन एवं निर्माण निगम।

श्रम सेवायोजन अनुभाग देहरादूनः दिनांकः 22 ~~नवम्बर~~ दिसम्बर, 2016

विषयः– भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के अन्तर्गत उपकर हेतु कुर्सी क्षेत्रफल की दरों का निर्धारण तथा उपकर की प्राप्तियों को उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड निधि में जमा कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा अधिनियमित भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 एवं भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार उपकर अधिनियम 1996 के तहत समस्त निर्माण कार्यों से निर्माण लागत का 01 % की दर से उपकर की वसूली का प्राविधान है। प्राप्त उपकर से निर्माण श्रमिकों के हितार्थ कल्याणकारी योजनाओं के संचालन जैसे महत्वपूर्ण कार्य संपादित किये जा रहे हैं।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विभागों द्वारा कराये जा रहे सभी प्रकार के निर्माण कार्यों की कुल अनुमोदित डी॰पी॰आर॰ का 01% उपकर राशि की कटौती करते हुए इस धनराशि को सचिव, उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट/चैक/विभागीय पोर्टल uk.labour.gov.in में जाकर Establishment/Registration under B.O.C.W में ऑन लाईन जमा कराया जाना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

अ॰प्र॰अ॰/सहायक/उप/अपर/श्रम आयुक्त
डायरी सं॰ 975
हस्ताक्षर

3. निजी क्षेत्र के आवासीय/अनावासीय भवनों के लिये:– ऐसे भवन पात्रता की श्रेणी में आयेंगे जिनकी कुल निर्माण लागत रू.10,00,000(रूपये दस लाख) से अधिक है या निर्माण कार्य के दौरान किसी एक दिन 10 श्रमिकों या उससे अधिक श्रमिकों द्वारा कार्य किया गया हो।

इस हेतु सेस का निर्धारण निम्न सारणी अनुसार किया जायेगा:–

उत्तराखण्ड राज्य में विभिन्न आय वर्ग तथा अनावासीय सम्पतियों के कर निर्धारण हेतु कुर्सी क्षेत्रफल की दरों का निर्धारण:–

क्र. सं.	भवनों का प्रकार	भूखंड का प्रकार (वर्ग मी. क्षेत्रफल)	समतुल्य कुर्सी क्षेत्रफल(वर्ग मी. क्षेत्रफल)	लो.नि.वि.के समतुल्य श्रेणी	कुर्सी क्षेत्रफल दर प्रति वर्ग मी. (Load Bearing Construction)		कुर्सी क्षेत्रफल दर प्रति वर्ग मी. (RCC Framed Structure)	
					पर्वतीय क्षेत्र हेतु रू.में	मैदानी क्षेत्र हेतु रू.में	पर्वतीय क्षेत्र हेतु रू.में	मैदानी क्षेत्र हेतु रू.में
(अ) आवासीय सम्पतियाँ								
1	दुर्बल आय वर्ग	50 वर्ग मी. तक के भूखण्ड	42.95 वर्ग मी.	श्रेणी–1 के भवन	17210	14500	–	–
2.	अल्प आय वर्ग	50 वर्ग मी. से अधिक तथा 100 वर्ग मी. तक	67.70 वर्ग मी. से 79.00 वर्ग मी.	श्रेणी–2 एवं 3 के भवन	17210	14500	–	–
3.	मध्यम आय वर्ग	100 वर्ग मी. से अधिक तथा 200 वर्ग मी. तक	125.00 वर्ग मी. से 178.00 वर्ग मी.	श्रेणी–4 के भवन	18870	15900	21320	17970
4	उच्च आय वर्ग	200 वर्ग मी. से अधिक	225.00 वर्ग मी.	श्रेणी–5 के भवन	20530	17300	21320	17970
(ब) अनावासीय सम्पतियाँ								
1	मध्यम अनावासीय	200 वर्ग मी. तक	–	–	19440	16380	21110	17790

भवनों हेतु कुर्सी क्षेत्रफल की दरों का निर्धारण निर्माण कार्यों की लागत के आधार पर समय–समय पर पुनरीक्षित किया जायेगा।

उपकर जमा कराने हेतु प्रक्रिया– उपरोक्त श्रेणीनुसार संलग्न प्रारूप–1 पर अधिकारी/आर्किटेक्ट द्वारा निर्धारित उपकर को निम्नानुसार जमा कर सकता है:–

A- संबंधित व्यक्ति स्वयं आंकलित धनराशि को सचिव, उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट/चैक/विभागीय पोर्टल uk.labour.gov.in में जाकर Establishment/Registration under B.O.C.W के माध्यम से ऑन–लाईन भी जमा कराकर रसीद प्रस्तुत करें।

B- मानचित्र स्वीकृत करने वाले स्वीकृता प्राधिकारी 01% उपकर की कटौती करके संबंधित जिले के श्रम कार्यालय में जमा करें।

शासन की अधिसूचना संख्या 474(2)/ VIII /12—35(श्रम)/2011 दिनांक 17 मई 2012 एवं अधिसूचना संख्या 178/VIII/680(श्रम)/2002 दिनांक 02 फरवरी 2015 के माध्यम से विभिन्न विभागों के अधिकारियों को उपकर निर्धारण एवं उपकर संग्रहण हेतु निर्धारण अधिकारी/प्राधिकारी एवं उपकर संग्राहक नियुक्त किया गया है (छायाप्रति संलग्न)।

5. समस्त विकास प्राधिकरण, विभिन्न निगमों, नगर निगमों, नगर पालिकाओं तथा नगर पंचायतों के स्तर पर निर्माण कार्यों हेतु मानचित्रों की स्वीकृति के समय की जाने वाली शुल्क की कटौती के साथ ही निर्माण लागत के 01% उपकर की कटौती का प्रमाण प्राप्त होने के पश्चात ही मानचित्र की स्वीकृति जारी किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

6. कृपया उपरोक्त दरों के अनुसार विभिन्न आवासीय/अनावासीय सम्पत्तियों के निर्माण कार्य पर उपकर की कटौती करने तथा उपकर की धनराशि को भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट/चैक/ऑन लाईन माध्यम से जमा कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

कृपया उपरोक्तानुसार निर्धारित व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एस॰ रामास्वामी)
मुख्य सचिव।

संख्याः— 1355 (1)/VIII/16—27(श्रम)/2016, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः—

1. श्रमायुक्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी/सदस्य सचिव भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. राज्य के अन्तर्गत निर्माण कार्य से संबंधित समस्त कार्यदायी संस्था के राज्य प्रमुखों को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव।